

उदय प्रताप कालेज, वाराणसी

(स्वायत्तशासी संस्था)

दिनांक: 18.08.2026

सूचना

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, वाराणसी के पत्रांक सी-442/जि0दि0ज0स0अ0/ई0-ट्राईपत्रा0/2026-27 दिनांक 12.08.2026 के अनुपालन में महाविद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिव्यांग छात्राओं के लिए ई-ट्राईसाईकिल (बैट्री से चलने वाली ट्राईसाईकिल) प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

ई-ट्राईसाईकिल हेतु पात्रता

1. दिव्यांग छात्रा की उम्र 16 वर्ष अथवा उससे अधिक हो।
2. कमर के नीचे दिव्यांगता हो।
3. दिव्यांगता सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।

उक्त पात्रता रखने वाली दिव्यांग छात्रायें ई-ट्राईसाईकिल हेतु अपना प्रार्थना पत्र आधार कार्ड एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 20.08.2026 तक प्राचार्य कार्यालय में अवश्य प्राप्त करा दें।



प्राचार्य